कार्यालय उप तहसीलदार बागोर (माण्डल)

निर्णय

करण संख्या–3 / 19

दिनांक :19 / 03 / 2019

	अनवान	पटवारी हल्का भावलास
सरकार बजरिये पटवारी प. हल्का भावलास	बनाम	शंकर पिता नारायण गाडरी निवासी चमारिया खेड़ा मजरा (जोरावरपुरा)

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भावलास ने इस आशय कि रिपोर्ट प्रस्तुत की कि श्री शंकर पिता नारायण जाति गाडरी निवासी चमारिया खेड़ा मजरा जोरावरपुरा ने ग्राम माणकियास में स्थित आराजी नम्बर 12 रकबा 0.2 बिस्वा है, पर दौराने सम्वत 2075 रबी में अनाधिकृत रूप से मकान निर्माण हेतु चार दीवारी का निर्माण कर कब्जा कर अतिक्रमण किया है।

उक्त आशय की रिपोर्ट पेश होने पर अतिक्रमी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस अन्तर्गत धारा 91 (3) LR ACT में जारी किया। जो विधिवत तामील करवाया जाकर संलग्न पत्रावली किया गया।

अतिक्रमी उपस्थित जिसने हस्ब रिपोर्ट पटवारी हल्का स्वीकार किया। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य से अतिक्रमी स्थल का अतिक्रमी के नाम नियमन होना नहीं पाया जाता है एवं उक्त आराजी से अतिक्रमी को ग्राम माणकियास में स्थित चारागाह आराजी नम्बर 12 रकबा 0.2 बिस्वा है, से तुरन्त बेदखल किया जाता है। गैर मुमकिन मकान निर्माण की दिवार को ध्वस्त किया जाकर भूमि तहवील सरकार ली जावें एवं शास्ती लगानी 1 रू. की 50 गुणा से 50 रूपये अधिरोपित कर वसूल करने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ पटवारी हल्का एवं मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावें।

पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें।

उप तहसीलदार

बागोर

Scanned by CamScanner